रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2014/माघ 30, 1935
No. 400] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2014/MAGHA 30, 1935

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,19 फरवरी, 2014

अधिसूचना

का.आ. 477(अ).—राष्ट्रपति, द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: -

'परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 2014

भारत के राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :–

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 2014 है ।

2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के पैरा 2 की तालिका में,-

(क) "स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र" शीर्षक में, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"1	बरेली-मुरादाबाद खंड स्नातक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और सम्भल जिले ।
2.	लखनऊ खंड स्नातक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले ।
3.	गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक	बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर,

		आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अमेठी और अम्बेडकरनगर जिले ।
4.	वाराणसी खंड स्नातक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, संत रविदासनगर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले ।
5.	इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक	इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले ।
6.	कानपुर खंड स्नातक	कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिले ।
7.	आगरा खंड स्नातक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, फरुखाबाद और कासगंज जिले ।
8.	मेरठ खंड स्नातक	बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और हापुड़ जिले ।";

(ख) "अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र" शीर्षक में, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"1	बरेली-मुरादाबाद खंड अध्यापक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और सम्भल जिले ।
2.	लखनऊ खंड अध्यापक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले ।
3.	गोरखपुर-फैजाबाद खंड अध्यापक	बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अमेठी और अम्बेडकरनगर जिले ।
4.	वाराणसी खंड अध्यापक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, संतरविदासनगर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले ।
5.	इलाहाबाद-झांसी खंड अध्यापक	इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले ।
6.	कानपुर खंड अध्यापक	कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिले ।
7.	आगरा खंड अध्यापक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, फरुखाबाद और कासगंज जिले ।
8.	मेरठ खंड अध्यापक	बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और हापुड़ जिले ।";

(ग) "स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र" शीर्षक में,-

(i) क्रम संख्या 1 के स्तंभ 2 में की प्रविष्टियों, "मुरादाबाद, ज्योतिबाफूले नगर और बिजनौर जिले" के स्थान पर, "मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और सम्भल जिले" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) क्रम संख्या 11 के स्तंभ 2 में की प्रविष्टि, "सुल्तानपुर जिला" के स्थान पर, सुल्तानपुर और अमेठी जिले" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iii) क्रम संख्या 31 के स्तंभ 2 में की प्रविष्टियों, "मथुरा, ऐटा और मैनपुरी जिले" के स्थान पर, "मथुरा, ऐटा, मैनपुरी और कासगंज जिले" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iv) क्रम संख्या 34 के स्तंभ 2 में की प्रविष्टियों, "मेरठ, बागपत और गाजियाबाद जिले" के स्थान पर, "मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ जिले" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(v) क्रम संख्या 35 के स्तंभ 2 में की प्रविष्टियों, "मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले" के स्थान पर, "मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ।

3. उक्त आदेश के पैरा 3 में, "1 जून, 2006" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2014" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

राष्ट्रपति ।'

[फा.सं. एच-11026(1)/2013-विधायी II]

डा. मुकुलिता विजयवर्गीय)
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2014

S.O. 477 (E).—The following Order made by the President is published for general information:—

'THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (UTTAR PRADESH) AMENDMENT ORDER, 2014.

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President, after consulting the Election Commission of India, is pleased to make the following Order further to amend the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Order, 1951, namely:—

1**.** This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 2014.

2. In the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Order 1951 (hereinafter referred to as the said order), in paragraph 2, in the Table,—

(a) under the heading "*Graduates' Constituencies*", for the entries under column 1 and column 2, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"1	Bareilly-Moradabad Division Graduates	Bareilly, Pilibhit, Shahjahanpur,Badaun, Rampur, Moradabad, Amroha, Bijnor and Sambhal districts.
2.	Lucknow Division Graduates	Lucknow, Hardoi, Kheri, Sitapur, Barabanki, Rae Bareli and Pratapgarh districts.
3.	Gorakhpur-Faizabad Division Graduates	Bahraich, Shrawasti, Gonda, Balrampur, Basti, Siddharthnagar, Santkabir Nagar, Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Kushinagar, Azamgarh, Mau, Sultanpur, Faizabad, Amethi and Ambedkar-nagar districts.
4.	Varanasi Division Graduates	Ballia, Ghazipur, Jaunpur, Varanasi, Chandauli, Sant Ravidas-nagar, Mirzapur and Sonbhadra districts.
5.	Allahabad-Jhansi Division Graduates	Allahabad, Kaushambi, Fatehpur, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba, Jalaun, Jhansi and Lalitpur districts.
6.	Kanpur Division Graduates	Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Unnao districts.
7.	Agra Division Graduates	Agra, Firozabad, Mathura, Aligarh, Hathras, Etah, Mainpuri, Etawah, Kannauj, Auraiya, Farrukhabad and Kasganj districts.

8.	Meerut Division Graduates	Bulandshahar, Ghaziabad, Gautambuddhnagar, Meerut, Baghpat, Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli and Hapur districts.”;

(b) under the heading “*Teachers' Constituencies*”, for the entries under column 1 and column 2, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

“1	Bareilly-Moradabad Division Teachers	Bareilly, Pilibhit, Shahjahanpur, Badaun, Rampur, Moradabad, Amroha, Bijnor and Sambhal districts.
2.	Lucknow Division Teachers	Lucknow, Hardoi, Kheri, Sitapur, Barabanki, Rae Bareli and Pratapgarh districts.
3.	Gorakhpur-Faizabad Division Teachers	Bahraich, Shrawasti,Gonda, Balrampur, Basti, Siddharthnagar, Sant-kabir Nagar, Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Kushinagar, Azamgarh, Mau, Sultanpur, Faizabad, Amethi and Ambedkarnagar districts.
4.	Varanasi Division Teachers	Ballia, Ghazipur, Jaunpur, Varanasi, Chandauli, Sant Ravidasnagar, Mirzapur and Sonbhadra districts.
5.	Allahabad-Jhansi Division Teachers	Allahabad, Kaushambi, Fatehpur, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba, Jalaun, Jhansi and Lalitpur districts.
6.	Kanpur Division Teachers	Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Unnao districts.
7.	Agra Division Teachers	Agra, Firozabad, Mathura, Aligarh, Hathras, Etah, Mainpuri, Etawah, Kannauj, Auraiya, Farrukhabad and Kasganj districts.
8.	Meerut Division Teachers	Bulandshahar, Ghaziabad, Gautambuddhnagar, Meerut, Baghpat, Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli and Hapur districts.”;

(c) under the heading “*Local Authorities' Constituencies*”,—

(i) at serial number 1, for the entries in column 2 “Moradabad, Jyotibaphule Nagar and Bijnor districts”, the entries “Moradabad, Amroha, Bijnor and Sambhal districts” shall be substituted;

(ii) at serial number 11, for entry in column 2 “Sultanpur district”, the entries “Sultanpur and Amethi districts” shall be substituted;

(iii) at serial number 31, for the entries in column 2 “Mathura, Etah and Mainpuri districts”, the entries “Mathura, Etah, Mainpuri and Kasganj districts” shall be substituted;

(iv) at serial number 34, for the entries in column 2 “Meerut, Bagpat and Ghaziabad districts”, the entries “Meerut, Bagpat, Ghaziabad and Hapur districts” shall be substituted.

(v) at serial number 35, for the entries in column 2 “Muzaffarnagar and Saharanpur districts”, the entries “Muzaffarnagar, Saharanpur and Shamli districts” shall be substituted.

3. In the said order, in paragraph 3, for the figures, letters and words “1st day of June, 2006”, the figures, letters and words “1st day of January, 2014” shall be substituted.

President.'

[F. No. H-11026(1)/2013-Leg. II]

Dr. MUKULITA VIJAYWARGIYA, Jt. Secy. and Legislative Counsel

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.